

निविदा प्रपत्र – 2019–20

सब्जी की आपूर्ति

टैक्नीकल विड (निविदा फार्म)

निविदा संख्या/दिनांक—	3879/निविदा/सूचना/2019–20 दिनांक—30.07.2019
निविदा का नाम	सब्जी की आपूर्ति
फर्म/ठेकेदार का नाम	
निविदा शुल्क—	रु. 1000.00 + 18 % जी.एस.टी. सहित (जो की प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉंसी के पक्ष में देय हो एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया गया हो, तकनीकी विड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
धरोहर/जमानत धनराशि	रु. 10000–00 (जो की प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉंसी के पक्ष में देय हो एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया गया हो, तकनीकी विड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
निविदा खुलने का दिनांक/समय	
निविदा खुलने का स्थान	प्रधानाचार्य, म0ल0बा0मेडिकल कालेज, झॉंसी।

आवश्यक शर्तें

- 1— निविदादाता को निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
- 2— निविदादाता को फर्म का आयकर रिटर्न एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3— निविदादाता फर्म का किसी राजकीय संस्थान में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
- 4— आपूर्तिकर्ता फर्म को ब्लेक लिस्ट न होने, संलग्नक प्रपत्रों के जाली न होना एवं फर्म ने यहाँ से न्यूनतम दरें और कहीं कोट नहीं की हैं का रु. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- 6— जो फर्म निविदा से सम्बन्धित नहीं होगी या टैक्नीकल बिड की शर्तों को पूरा नहीं करेगी उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7— बजट के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से यदि फर्म को भुगतान में विलम्ब होता है तो भी फर्म द्वारा आपूर्ति बन्द नहीं की जायेगी, एवं फर्म द्वारा, भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के व्याज की माँग नहीं की जायेगी।
- 8— प्रधानाचार्य को निविदादायक की निविदा बिना कारण बताये समस्त एवं आशिक रूप से निरस्त करने तथा कार्य की मात्रा में आवश्यकतानुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा निविदादायक द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती या वाद मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
- 9— स्वीकृत निविदादायक को रु. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भरना होगा, जो निविदा का ही भाग समझा जायेगा।
- 10— निविदादाता द्वारा समिति के समक्ष, आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का नमूना (सैम्पल) प्रस्तुत करना होगा।
- 11— निविदादाता फर्म की स्वीकृत दरों से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी./अन्य टैक्स की कटौती की जायेगी। इसके साथ ही यदि सरकार (केन्द्र/राज्य) द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टैक्स में बढ़ोत्तरी या अन्य कोई टैक्स लागू किया जाता है तो उसे स्वयं फर्म/निविदादाता को वहन करना होगा।
- 13— निविदादाता फर्म को शासकीय/वित्तपोषित संस्थान/चिकित्सालयों में आपूर्ति/कार्य का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता को इस आशय का अनुभव प्रमाण-पत्र/आपूर्ति आदेश की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 14— तकनीकी विड खोलने के समय माँगे जाने पर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 15— निविदा दर अनुमोदित होने पर निविदादाता को 100.00 मूल्य के जनरल स्टाम्प पर, पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर दर अनुबन्ध करना होगा, जो इसी निविदा का ही भाग माना जायेगा, जिसके साथ रु0 10,000–00 की धनराशि का एफ.डी.आर. जो की प्रधानाचार्य म.ल.बा. मेडिकल कालेज, झॉंसी के पक्ष में बन्धक हो, कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

- 16- निविदा के दर अनुमोदन के उपरान्त दर अनुबन्ध हेतु निविदादाता पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर चिकित्सालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार यदि अनुबन्ध नहीं करता है तो निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, तथा टेण्डर निरस्त माना जायेगा एवं प्राथमिकता/वरीयता की अनुमोदित फर्म से अनुबन्ध कर लिया जायेगा।
- 17- अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने, निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति /कार्य करने में असमर्थ रहने, प्रधानाचार्य के आदेशों एवं निर्देशों एवं निर्देशों को अनुपालन न करने, अधोमानक/घटिया सामग्री की आपूर्ति करने की दशा में अनुबन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट/दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 18- उक्त निविदा में अनुमोदित दर दिनांक- 31.03.2020 या अगली निविदा स्वीकार होने तक मान्य होगी।
- 19- निविदादाता द्वारा आपूर्ति/कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर चिकित्सालय की कमेटी द्वारा अथवा सम्बन्धित प्रयोगशाला में मानक परीक्षण भी कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता के देयको से किया जायेगा। कमेटी की रिपोर्ट अथवा परीक्षण रिपोर्ट यदि मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो आपूर्ति की गयी वांछित सामग्री/कार्य के देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म के विरुद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 20- निविदादाता को आपूर्ति/कार्य के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आपूर्ति/कार्य का देयक तीन प्रतियों में देना होगा जिसे यथा-शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा, वशर्त कि बजट उपलब्ध रहे। भुगतान में बिलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/कार्य को नहीं रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो, उसे अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के व्याज की माँग, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा नहीं की जायेगी।
- 21- वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा फार्म तथा कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म में यदि कोई भिन्नता प्राप्त होती है तो कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म (नियम एवं शर्त) विधिक रूप से मान्य होगी।
- 22- निविदादाता, निविदा में अथवा निविदा के साथ अपनी कोई शर्त या विशिष्टता नहीं जोड़ेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता को निविदा के नियमों एवं शर्तों को मान्य करना होगा।
- 23- निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप निविदा न होने की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 24- निविदादाता दर अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानान्तरित/सबलेट नहीं कर सकेगा।
- 25- मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/मा0 न्यायालय में विचाराधीन अपराधिक मामले अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी या इस सम्बन्ध में किसी अन्य माध्यम से, विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविदादाता का कोई मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता का कोई अपराधिक रिकार्ड है तो तत्काल निविदादाता की निविदा को निरस्त कर, विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- 26- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कॉउन्सिल में पंजीकृत हो उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 27- ऐसी फर्म जो किसी शासकीय /स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दंडित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी फर्म जो मा0 न्यायालय द्वारा दंडित हो एवं मा0 न्यायालय में फर्म के विरुद्ध मामले लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 28- प्रधानाचार्य मा0ल0बा0मेडिकल कालेज, झॉंसी को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा के आंशिक या पूर्ण अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 29- निविदादाता को इसके अतिरिक्त निविदा फार्म में दर्शायी गयी नियम व शर्तों को भी पूरा करना अनिवार्य होगा।
- 30- अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉंसी का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी को मान्य होगा। कोई भी न्यायिक विवाद केवल झॉंसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य।

घोषणा – पत्र

(रु. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पर)

कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना सं.—.....दिनांक—..... में वाणिज्य
नियम व शर्तों के अन्तर्गत में श्री.....निवास.....
..... निविदा का नाम—..... का कार्य करने हेतु दिनांक— 31.03.2020 या
अलग वित्तीय वर्ष के टेण्डर स्वीकृत होने तक के लिये अपनी दरें प्रेषित कर रहा हूँ। मैंने धरोहर की राशि रु.....
.....एन.एस.सी./राष्ट्रीयकृत बैंक से बनी एफ.डी.आर. (डी.डी. बैकर चैक पे आर्डर मान्य नहीं)
..... है । जो प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झॉसी के नाम बंधक है एवं टेण्डर क्रय का डी0डी0
..... दिनांक—..... संलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा नियम व शर्तों को पढ लिया गया है।
मुझे टेण्डर नोटिस व उसके नियम व शर्तें मंजूर है। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर निविदा की कार्यवाही इकरारनामा
पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरी धरोहर राशि को जब्त करके सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये। निविदा में जो
दरें दी गयी है वह अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक व किसी अन्य सरकारी संस्थान में दी गयी दरों से अधिक नहीं है
यदि इससे अधिक पायी जाती है तो मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। इन नियम व शर्तों के विरुद्ध
मैं किसी भी कार्यवाही करने के लिये अधिकारी नहीं रहूँगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झॉसी का फैसला मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता :-

निविदादाता का नाम :-

पत्र व्यवहार का पता :-

दिनांक :-

प्रधानाचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी।

टेण्डर- सब्जी/फल की आपूर्ति

दर निविदा प्रपत्र वर्ष - 2018-19

प्रतिष्ठान का नाम :-

पूरा पता :-

फोन नं० :-

क्र०सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण	दर प्रति किलोग्राम(रु. में)	जी.एस.टी. (यदि लागू हो)	कुल दर प्रति किलोग्राम(रु. में)
1	आलू देशी/पहाड़ी			
2	बैंगन			
3	काशी फल/कद्दू			
4	लौकी			
5	प्याज			
6	पालक			
7	भिन्डी			
8	तौरई			
9	फूल गोभी			
10	बन्द गोभी			
11	टिन्डा			
12	सेम			
13	गाजर			
14	शलजम			
15	टमाटर			
16	रुवाँश की फली			
17	ग्वार की फली			
18	मूली			
19	मैथी हरी पत्तीदार			
20	हरी घास (जानवरों के लिये)			

नोट- आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिदिन मांग निर्धारित होगी। समस्त सब्जियों ऋतुओं के अनुसार, अच्छी किस्म की बिना दीमक व कीटाणु रहित पत्तीदार, सब्जी, ताजी होना चाहिए। कड़ वाली सब्जियां जैसे शलजम, गोभी, फूल गोभी फला आदि के अवांछनीय भाग को निकाल कर देना होगा। फल भी ताज तथा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जो मांगे जाने पर ही देने होंगे। उक्त की आपूर्ति चिकित्सालय की रसोई तक करनी होगी। मुझे/हमारे द्वारा उपरोक्त शर्तों का अध्ययन गम्भीरता पूर्वक कर लिया गया है एवं मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

गवाह के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता-

निविदादायक के हस्ताक्षर

फर्म का नाम पता एवं स्टाम्प-

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झांसी।